

प्रधान आयुक्त कार्यालय
OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER
सी.जी.एस.टी एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, जयपुर
CGST & CENTRAL EXCISE COMMISSIONERATE, JAIPUR
नव केन्द्रीय राजस्व भवन, स्टैच्यु सर्किल, सी-स्कीम, जयपुर-302005 (राज.)

NEW CENTRAL REVENUE BUILDING, STATUE CIRCLE, C-SCHEME, JAIPUR - 302005 (RAJ.)

EMAIL: ccu-cgst.jpr@gov.in (केंद्र कंट्रोल यूनिट) Telefax: 0141-2385813

फा.सं. 11-31(01)सीसीयू/जेपीआर/2023/680

दिनांक: 15.06.2023

ज्ञापन

निम्नलिखित उम्मीदवारों को वेतनमान पी.बी.-1 रु 5200-20200 तथा ग्रेड वेतन रु 1800/- {पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स रु 18000-56900 में लेवल 1 (Level-1 in the Pay Matrix Rs. 18000-56900)} एवं भारत सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत किये जाने वाले भत्तों के साथ कार्यालय मुख्य आयुक्त, सी.जी.एस.टी., केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क (जयपुर परिक्षेत्र), जयपुर (राजस्थान) के अधीन आयुक्तालयों के क्षेत्राधिकार में मल्टी टास्किंग स्टाफ (MTS) (गुप-स) के पद पर अस्थाई नियुक्ति (on provisional basis) का प्रस्ताव दिया जाता है:-

S. No.	Name of Candidate	Date of Birth	Category
1	Shri Abhishek Agarwal	12/06/1996	UR
2	Shri Saurabh Anand	25/10/1995	EWS

उपरोक्त नियुक्ति एनकजर-"अ" में उल्लेखित एवं निम्नलिखित शर्तों के अनुसार रहेगी:-

- 1 उपरोक्त नियुक्ति प्रस्ताव DOPT के O.M. No. 18011/2(s)/2016-Estt.(B)(i) दिनांक 29.06.2016 जो कि केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली के पत्र फा.सं A-12034/7/2019-Ad.IIIB दिनांक 13.05.2019 के द्वारा अग्रपिहित किया गया है, के अनुसार provisional basis पर इस शर्त पर जारी किया जा रहा है कि यदि उनके पुलिस एवं चरित्र प्रमाण पत्र और उनके द्वारा प्रस्तुत जन्म तिथि, शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, इत्यादि दस्तावेजों के सत्यापन के दौरान या अन्यथा यदि कोई विपरीत तथ्य इस विभाग की जानकारी में आता है, तो उपरोक्त ज्ञापन बिना किसी नोटिस के या बिना उनको कारण बताये निरस्त कर दिया जायेगा और इस प्रकार का असत्य तथ्य/प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए विभाग भारतीय दंड संहिता के उपबन्धों के तहत नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही करेगा।
- 2 उनका मल्टी टास्किंग स्टाफ (MTS) के पद पर नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष का परिवीक्षा काल रहेगा।
- 3 उनकी मल्टी टास्किंग स्टाफ (MTS) श्रेणी में वरीयता भारत सरकार द्वारा जारी नियमों/अनुदेशों के अनुसार निर्धारित की जायेगी।
- 4 वे राजस्थान राज्य में कहीं भी स्थानान्तरण के लिए बाध्य हैं।
- 5 यदि वे संलग्न एनकजर-"अ" व उपरोक्त वर्णित शर्तों को स्वीकार करते हों तो दिनांक 14.07.2022 को या इससे पहले अद्योहस्ताक्षरकर्ता को मल्टी टास्किंग स्टाफ (MTS) के पद पर अपनी कार्यग्रहण

रिपोर्ट प्रस्तुत करें। ऐसा न करने पर यह नियुक्ति प्रस्ताव रद्द समझा जायेगा। इस पद पर कार्यभार सम्भालने के लिए कोई यात्रा भत्ता देय नहीं है।

संलग्न:- एनक्जर-"अ"

— इस्स —

(सुमीत कुमार यादव)
अपर आयुक्त (सी.सी.यू.)

Reqd. AD

1. Sh Abhishek Agarwal S/o Harish Agarwal, 45, Mangal Vihar Colony, Shyopur, Sanganer, Jaipur-302033
2. Sh. Saurabh Anand S/o Ramesh Prasad Singh Ambedkar Nagar in front of Fulo Jhano Statue, Behind Govt. Quarters of Block Field, Godda Jharkhand-814133

प्रतिलिपि निम्न को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है:-

1. Assistant Director (SP/MTS), Staff Selection Commission, Northern Region Office, CGO Complex, Block 12, Lodhi Road, New Delhi – 110003 w.r.t. letter F. No. 10/1/2023-ND-III dated 26.04.2023 & even no. dated 28.04.2023.
2. Under Secretary (Ad.IV.A), Central Board of Excise & Customs, 5th Floor, Hudco Vishala Building, Bhikaji Cama Place, R. K. Puram, New Delhi – 110066 alongwith a copy of letter F. No. 10/1/2023-ND-III dated 26.04.2023 & even no. dated 28.04.2023 of Assistant Director (SP/MTS), Staff Selection Commission(NR), New Delhi..
3. प्रधान आयुक्त/आयुक्त, सी.जी.एस.टी. एवं के.उ.शु. आयुक्तालय, जयपुर/अलवर/जोधपुर/उदयपुर/अंकेक्षण जयपुर/अंकेक्षण जोधपुर/अपील्स जयपुर/अपील्स जोधपुर/सीमा शुल्क, जयपुर।
4. अपर आयुक्त, कार्यालय मुख्य आयुक्त, सी.जी.एस.टी. एवं के.उ.शु. परिक्षेत्र, जयपुर।
5. अधीक्षक (प्रशासन/गोप.), कार्यालय मुख्य आयुक्त, सी.जी.एस.टी. एवं के.उ.शु. परिक्षेत्र, जयपुर।
6. वेतन एवं लेखा अधिकारी, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क, जयपुर।
7. निजी पत्रावली/सेवा पुस्तिका/गार्ड फाईल/नोटिस बोर्ड/वरीयता सूची।
8. अधीक्षक (कम्प्यूटर), सी.जी.एस.टी. एवं के.उ.शु. आयुक्तालय, जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।



(सुमीत कुमार यादव)
अपर आयुक्त (सी.सी.यू.)